

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जनवरी 2022—पौष 30, शक 1943

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2022

क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-पीजी(ए).—राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-पीजी (ए), दिनांक 26 नवम्बर 2021 में अधिसूचित मध्यप्रदेश एम.डी/एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2021 के नियम-6, 9 एवं 12 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:—

1. नियम 6-“आरक्षण” के उप नियम 6.1 के कंडिका (1) :—

महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट) सह विकल्प के अनुसार 33 प्रतिशत होगा. यह आरक्षण क्षेत्रीय (हॉरिजोन्टल) तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा.

2. नियम-9-रजिस्ट्रेशन :—

रजिस्ट्रेशन शुल्क “रुपये 150/-” के स्थान पर “रुपये 500/-” प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. नियम-12-संस्था का चयन :—

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग / संशोधन / परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रक्रिया चरण निर्धारित किया जाता है.

क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-पीजी(एन).—राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-पीजी (एन), दिनांक 26 नवम्बर 2021 में अधिसूचित मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2021 के नियम 8 एवं 11 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:—

1. नियम-8-रजिस्ट्रेशन:—

रजिस्ट्रेशन शुल्क “रुपये 150/-” के स्थान पर “रुपये 500/-” प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम-11-संस्था का चयन :—

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग / संशोधन / परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रक्रिया चरण निर्धारित किया जाता है.

क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-एम.डी.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-एम.डी., दिनांक 26 नवम्बर 2021 में अधिसूचित मध्यप्रदेश एम. डी. (होम्योपैथी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2021 के नियम 9 एवं 12 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:—

1. नियम-9-रजिस्ट्रेशन:—

रजिस्ट्रेशन शुल्क “रुपये 150/-” के स्थान पर “रुपये 500/-” प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम-12-संस्था का चयन :—

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग / संशोधन / परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रक्रिया चरण निर्धारित किया जाता है.

क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-बी.एन.वाय.एस.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-बी.एन.वाय.एस., दिनांक 26 नवम्बर 2021 में अधिसूचित मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम (बीएनवायएस) प्रवेश नियम, 2021 के नियम 9.6 एवं 9.14 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:—

1. नियम-9.6-रजिस्ट्रेशन:—

रजिस्ट्रेशन शुल्क “रुपये 150/-” के स्थान पर “रुपये 500/-” प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम-9.14-संस्था का चयन :—

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग / संशोधन / परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रक्रिया चरण निर्धारित किया जाता है.

क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-यू. जी.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ-1-68-2021-1-उनसठ-यू. जी., दिनांक 26 नवम्बर 2021 में अधिसूचित मध्यप्रदेश आयुर्वेद होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2021 के नियम 9.6 एवं 9.14 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:—

1. नियम-9.6-रजिस्ट्रेशन:—

रजिस्ट्रेशन शुल्क “रुपये 150/-” के स्थान पर “रुपये 500/-” प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम-9.14-संस्था का चयन :—

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग / संशोधन / परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रक्रिया चरण निर्धारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज शर्मा, उपसचिव.